260

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 3313–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–7–13 पारित द्वारा एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक अपील 684/अ–6–अ/10–11.

हीरालाल पिता जमुनाप्रसाद चौरसिया
निवासी उमरियापान
तहसील ढीमरखेड़ा,
जिल कटनी म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

1– अनुविभागीय अधिकारी, ढीमरखेड़ा
जिला कटनी
2– ना0 तहसीलदार,
उमरियापान, तहसील ढीमरखेड़ा
जिला कटनी
3– प्राचार्य, शासकीय उ0मा0वि0
उमरियापालन, तह0 ढीमरखेड़ा
जिला कटनी ——— अनावेदकगण

.....

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील चौबे.

.....

आदेश

(आज दिनांक 29-12-16 को पारित)

.....

यह निगरानी एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक अपील 684/अ–6–अ/10–11 में पारित आदेश दिनांक 5–7–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आागे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य आवेदक के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उनके द्वारा फूलचंद एवं छोटेलाल वल्द दादूराम से दिनांक 26–12–70 को ग्राम उमरियापान स्थित भूखंड कमांक 480 रकबा 0.80 डिसमिल में से 70 वर्गफुट का भूखंड रजिस्टर्ड विकयपत्र से कय किया था । तत्पश्चात भूखंड कमांक 480 में से 14 डिसमिल भूखण्ड पुनः छोटेलाल से रजिस्टर्ड बैनामा से दिनांक 24–9–82 को कय किया । आवेदक द्वारा उक्त भूखंड पर जब वर्ष 1983 में निर्माण की कार्यवाही की जा रहीथी, तब स्थानीय व्यक्तियों तथा स्कूल प्रशासन द्वारा बाधा उत्पन्न करने पर स्थाई निषेधाज्ञा के लिए व्यवहार न्यायालय में वाद कमांक 46–अ/1983 प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 24–2–84 को आवेदक के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई । इसके विरूद्ध कोई अपील न करने से वह आज भी प्रभावशील है । उक्त वाद भूमि खसरा नं. 480/6 14 डिसमिल के संबंध में था । पूर्व में भूखंड कमांक 480/3 पर स्कूल प्रशासन द्वारा बाउन्ड्री वाल बनाने का प्रयास किया गया था, जिस पर व्यवहार न्यायालय में वाद पेश किया गया जिसमें न्यायालय ने अनावेदक कमांक 3 का प्रतिदावा दिनांक 20–12–02 को स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सिविल अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 6–4–04 को आदेश पारित करते हुए व्यवहार न्यायालय का निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 20–12–02 निरस्त की । इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं हुई । उपरोक्त विकयपत्रों के आधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया, किंतु अनावेदक कमांक 2 द्वारा व्यवहार वाद में पारित निर्णय दिनांक 20–12–02 के आधार पर आदेश दिनांक 24–1–03 द्वारा खसरा नंबर 480 के संपूर्ण भाग पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम अकित किया गया । अतिरिक्त जिला न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–12–02 अपने निर्णय दिनांक 6–4–04 से अपास्त करने पर आवेदक ने अनावेदक कमांक 2 के समक्ष उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आवेदन दिया, जिस पर से अनावेदक कमांक 2 ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 13–4–09 द्वारा खसरा नं. 480/3 एवं 480/6 पर दर्ज करने के आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 3 ने अनुविभागीय अधिकारी के

समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 26–7–11 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है ।

4/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 26–10–16 को पक्षकारों को लिखित बहस पेश करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया था किंतु लिखित बहस केवल आवेदक की ओर से पेश की गई है । अनावेदकों की ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

5/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का नामांतरण पूर्व में विकयपत्रों के आधार पर किया गया था । तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय के जिस निर्णय दिनांक 20–12–02 के आधार पर अनावेदक कमांक 3 का नामांतरण आदेश दिनांक 24–1–03 को किया गया था उक्त आदेश को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 6–4–03 के अपास्त किया जा चुका है और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश को कोई चुनौती अनावेदक कमांक 3 द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में दिया जाना अभिलेख से नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायालय के आदेश के आधार पर प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 13–4–09 द्वारा खसरा नं. 480/3 एवं 480/6 पर राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों में सुधार का आदेश देते हुए आवेदक का नाम दर्ज करने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी । दोनों अपीलीय न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किये हैं । अपीलीय न्यायालयों ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि आवेदक के पक्ष में किए गए रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 26–12–70 एवं 24–9–82 को किसी भी व्यवहार न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है और ना ही इन्हें चुनौती दी गई है । कानून की अवधारणा है कि जब तक विधिवत किए गए विकयपत्र को सक्षम न्यायालय शून्य घोषित न कर दें तब तक राजस्व न्यायालय उक्त हस्तांतरण के तहत अभिलेखों में सुधार कर प्रविष्टियों को

संहिता की मूल मंशा के तहत करने हेतु बाध्य हैं । प्रकरण में किसी भी पक्ष द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के विषय में विपरीत आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 6–4–03 के आधार पर दिनांक 13–4–09 को जो आदेश पारित किया गया है वह उचित, न्यायिक एवं विधिसम्मत है, जिसे निरस्त करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । अतः अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–7–13 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–7–11 निरस्त किये जाते हैं एवं नायब तहसीलदार, उमरियापान द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–4–09 स्थिर रखा जाता है । नायब तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे तद्नुसार राजस्व अभिलेख दुरस्त करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर